<u>डिस्क्लेमर</u>

परामर्श पत्र संख्या 08/2025-26 के मुखपृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों के पृष्ठ 1, 2, 3, 187, 188, और 189 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. : ऐरा/20010/एमवाईटीपी/नवी मुम्बई/सीपी-I/2025-26

परामर्श पत्र संख्या 08/2025-26

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपतत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, नवी मुम्बई (एनएमआई) के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि (01अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2031) के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के मामले में

जारी करने की तारीख : 17 मार्च, 2026

तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली– 110 003

हितधारकों की टिप्पणियां

मुंबई शहर में पहले से ही अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा—छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीएसएमआईए) है। जिसका प्रचालन मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) करती है। सीएसएमआईए के लैंडसाइड और एयरसाइड विस्तार में आने वाली बाधाओं के कारण मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए दूसरे हवाईअड्डे की जरुरत महसूस हुई।

महाराष्ट्र के सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीआईडीसीओ) ने नोडल एजेंसी के रूप में एक वैश्विक बोली प्रक्रिया प्रारंभ की। इसका उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रणाली के अंतर्गत 'नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा' (एनएमआईए) नामक एक नया ग्रीनफ़ील्ड हवाईअड्डा बनाना था। यह हवाईअड्डा 'डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण' (डीबीएफओटी) आधार पर बनाया जाना था, जिसके लिए तीस (30) वर्ष की रियायत अवधि निर्धारित की गई थी। इस अवधि को दस (10) वर्ष आगे बढ़ाया जा सकता था। इसके बाद, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया में भाग लेकर इस रियायत को बीस (20) वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता था।

एमआईएएल ने एनएमआईए के विकास के लिए बोली प्राप्त कर ली। 25 अक्तूबर, 2017 को सीआईडीसीओ ने एमआईएएल को 'कार्य सौंपने संबंधी पत्र' (एलओएल) जारी किया। इसके बाद, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में ग्रीनफ़ील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा परियोजना के विकास, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए 'नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड' (एनएमआईएएल) की स्थापना की गई। एनएमआईएएल विशेष प्रयोजन माध्यम **(**एसपीवी**)** है, जिसका स्वामित्व एमआईएएल (74% शेयरधारक) और सीआईडीसीओ (26% शेयरधारक) के पास है। एनएमआईएएल ने 8 जनवरी, 2018 को सीआईडीसीओ के साथ 'रियायत करार' पर हस्ताक्षर किए।

एनएमआईए को ऐरा (संशोधन) अधिनियम 2019 और 2021 के साथ पठित ऐरा अधिनियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार 'प्रमुख हवाईअड्डे' की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि इसे एनएमआईएएल और सीआईडीसीओ के बीच निष्पादित 'रियायत करार' की अनुसूची 'ए' के अनुबंध-II के अंतर्गत निर्धारित 3.5 एमपीपीए से अधिक की निर्धारित क्षमता के साथ प्रचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

ऐरा अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार एनएमआईएएल ने 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2030 तक की प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए अपना बहु-वर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) प्रस्तुत किया है। विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप एनएमआईएएल ने प्रारंभ में 7 फरवरी, 2025 को प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए एमवाईटीपी प्रस्तुत किया था, जिसकी शुरू होने की तारीख 31 मई, 2025 थी।

परंतु, देर होने के कारण एनएमआईएएल ने अपनी 22 सितंबर, 2025 की ईमेल में बताया कि वे 30 नवंबर, 2025 के मध्य से अंत तक हवाईअड्डे को वाणिज्यिक प्रचालन के लिए खोल देंगे। इसके अतिरिक्त एनएमआईएएल ने अपनी दिनांक 21 नवंबर, 2025 की ईमेल में यह संकेत दिया कि एनएमआईए के लिए वाणिज्यिक प्रचालन शुरू होने की संभावित तारीख 25 दिसंबर, 2025 है। चूंकि प्रचालन 25 दिसंबर, 2025 से प्रारंभ हो गए हैं, इसलिए प्राधिकरण सीओडी को 31 मई, 2025 से बदलकर 25 दिसंबर, 2025 करने का प्रस्ताव करता है। संशोधित सीओडी 25 दिसंबर, 2025 होने के साथ ही, प्राधिकरण प्रथम नियंत्रण अवधि को 1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2030 तक मानने का प्रस्ताव करता है।

प्राधिकरण ने, वर्तमान में उपलब्ध सभी जानकारी पर विचार करने और हवाइअड्डा प्रचालक के एमवाईटीपी तथा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वतंत्र और कैपेक्स परामर्शदाता के विचारों का आगे विश्लेषण करने के बाद, सभी विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों में आवश्यक समायोजन किए हैं। हालाँकि, इन समायोजनों को केवल हितधारकों की टिप्पणियों पर विचार करने के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र जारी किया है, जिसमें हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत एमवाईटीपी पर प्राधिकरण के विश्लेषण और टिप्पणियों की पृष्ठभूमि में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों पर विचार करेगा तथा वैमानिक सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए उपयुक्त आदेश जारी करेगा। प्राधिकरण इस बात पर बल देना चाहेगा कि परामर्श प्रक्रिया की समय-सीमा निश्चित है और इस कारण से हितधारकों से अनुरोध है कि वे अपनी टिप्पणियां/इनपुट इस परामर्शपत्र में उल्लिखित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कर दें, इसके बाद प्राप्त टिप्पणियों/इनपुट पर प्राधिकरण द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

प्राधिकरण ने एनएमआईए के संबंध में एनएमआईएएल द्वारा प्रस्तुत एमवाईटीपी में निर्धारित विभिन्न धारणाओं पर विचार करने के बाद, यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार, टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्तावों को इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13 (2) के प्रावधानों के अनुसार टैरिफ आदेश के तहत टैरिफ निर्धारण की समीक्षा और इसमें संशोधन किया जा सकता है।

अत: ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 17 मार्च, 2026 के परामर्श पत्र संख्या 08/2025-26 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत

ई-मेल : director-ps@aera.gov.in, और rajan.gupta1@aera.gov.in प्रतिलिपि secretary@aera.gov.in

हितधारक परामर्श बैठक	02 अप्रैल, 2026
टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	17 अप्रैल, 2026
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	27 अप्रैल, 2026

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695043 पर संपर्क कर सकते हैं।

13 प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का हितधारकों के परामर्श के लिए सार

अध्याय 3: वित्त वर्ष 2018 *से सीओडी तक की अवधि की पूर्व सीओडी की हानियाँ*

3.3.1 नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए कंपनी की शुरूआत से सीओडी तक की अवधि के दौरान हुए पूर्व-सीओडी के नुकसानों को टैरिफ का हिस्सा न मानना।

अध्याय: 4 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए यातायात

4.3.1 एनएमआईए के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए **तालिका 14** के अनुसार यात्री, एटीएम और कार्गो यातायात को मानना।

4.3.2 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के वास्तविक यातायात के आधार पर यातायात की मात्रा (यात्री, एटीएम और कार्गो) को ट्रूअप करना।

अध्याय : 5 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स), मूल्यह्रास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

5.7.1 पैरा 5.4.2 में उल्लेख किए अनुसार आईएमजी मानदंडों के अनुरूप 88:12 के टर्मिनल भवन अनुपात (टीबीएलआर) को मानना।

5.7.2 **तालिका 67** के विवरण के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान वित्तीयन भत्ते को मानना।

5.7.3 **तालिका 71** के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कैपेक्स को मानना।

5.7.4 **तालिका 74** के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक परिवर्धनों को मानना।

5.7.5 *केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम*, 2017 *के अध्याय* V *के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेखांकन की जांच करना और अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय आवश्यक समायोजन करना।*

5.7.6 कोई विशिष्ट पूंजीगत परियोजना पैरा 5.3.30 में उल्लेख किए अनुसार पूंजीकरण की अनुमोदित समय-सारणी के अनुसार पूर्ण/पूंजीकृत न होने की स्थिति में एआरआर से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि कम (समायोजित) करना। प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय प्रथम नियंत्रण अवधि के ट्रू-अप के दौरान इसकी जांच की जाएगी।

5.7.7 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर लागत कार्यक्षमता और औचित्य की शर्त पर वैमानिक कैपेक्स को ट्रू-अप करना।

5.7.8 **तालिका 78** के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक मूल्यह्रास को अंगीकार करना।

5.7.9 अगली नियंत्रण अवधि के टैरिफ निर्धारित के दौरान**,** वास्तविक परिसंपत्ति परिवर्धनों और पूंजीकरण की वास्तविक तारीख के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के मूल्यह्रास को ट्रू-अप करना।

5.7.10 एनआईएमए**,** नवी मुम्बई के लिए **तालिका 80** के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए औसत आरएबी को मानना।

5.7.11 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक आंकड़ों के आधार पर आरएबी को ट्रू-अप करना।

अध्याय : 6 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर

6.3.1 द्वितीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक (या) भारतीय स्टेट बैंक के छ: (6) माह के औसत एमसीएलआर + 155 बीपीएस (जो भी कम हो) के आधार पर प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ऋण (सुलभ ऋण और आईसीडी को छोड़कर) की लागत को ट्रू-अप करना।

6.3.2 **तालिका 94** के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए 12.49% एफआरओआर को मानना।

अध्याय : 7 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति

7.3.1 एनएमआईए के लिए **तालिका 96** के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए मुद्रा-स्फीति को मानना।

अध्याय 8: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च

8.3.1 एनएमआईए के लिए तालिका 156 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

8.3.2 एनएमआईए द्वारा प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए वहन किए गए वैमानिक प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय औचित्य एवं दक्षता की शर्त पर ट्रू-अप करना।

अध्याय 9: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए गैर- वैमानिक राजस्व

9.3.1 एनएमआईए के लिए **तालिका 159** के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एनएआर को मानना।

9.3.2 एनएमआईएएल को नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए अन्य हवाईअड्डों के अनुरूप गैर-वैमानिक राजस्व को पर्याप्त रूप से बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए।

9.3.3 अगली नियंत्रण अवधि के लिए **तालिका 159** में प्राधिकरण द्वारा यथा प्रस्तावित न्यूनतम सीमा के अंतर्गत अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वर्तमान नियंत्रण अवधि के एनएआर को ट्रू-अप करना।

अध्याय 10: प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

10.3.1 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए तालिका 161 के अनुसार वैमानिक कर को मानना।

10.3.2 अगली नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय, सभी प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वैमानिक कर की राशि को उचित रूप से ट्रू-अप करना।

अध्याय 11 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए सेवा की गुणवत्ता

11.3.1 प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए इस स्तर पर सेवा की गुणवत्ता के आधार पर लक्ष्य राजस्व में किसी भी समायोजन को नहीं मानना।

11.3.2 एनएमआईएएल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नवी मुम्बई अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रियायत करार में बताए गए कार्य निष्पादन मानकों का अनुपालन किया जाता है और अतिरिक्त रूप से पैरा 11.2.4 में उल्लिखित अंतिम आदेश के अनुसरण में अधिसूचित किए जाने वाले ऐसे कार्य निष्पादन मानकों का भी पालन किया जाए, जो प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान प्रमुख हवाईअड्डों के लिए एक बार लागू हो गए हैं।

अध्याय 12 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

12.3.1 एनएमआईए के लिए तालिका 163 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर एवं वाईपीपी को मानना।

12.3.2 एनएमआईएएल को निर्देश देना कि वह इस परामर्श पत्र के जारी होने के 7 दिन के भीतर वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव (टैरिफ दर कार्ड) प्रस्तुत करे, जिसे हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

14 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

14.1.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 13–प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।

14.1.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

14.1.3 प्राधिकरण इस परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक **17 अप्रैल, 2026** तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
दूरभाष : 011-24695044-47 फैक्स : 011-24695048

(अध्यक्ष)